न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाष विष्नोई, आर.ए.एस.

2022-26RAAJodhpur2022-8 RTA223 Ramakishan Vs Ramaku etc

रामाकिशन पुत्र जेठाराम, जाति विश्नोई, निवासी श्रीकृष्ण नगर, तहसील बापिणी जिला जोधपुर, हाल फलोदी।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. रमकु पुत्री जेठाराम, पत्नी श्री हिरकनराम, जाति विश्नोई, निवासी राजीव कॉलोनी, पेट्रोल पम्प के सामने, वार्ड संख्या 23 फलोदी तहसील फलोदी जिला जोधपुर, हाल फलोदी।
02. अमराराम पुत्र जेठाराम,
03. पुरखाराम पुत्र जेठाराम,
04. पांचाराम पुत्र जेठाराम,

    तीनो जातियान विश्नोई, निवासीगण श्रीकृष्ण नगर, तहसील बापिणी जिला जोधपुर, हाल फलोदी।
05. श्रीमान उप पंजीयक आऊ तहसील आऊ।
06. तहसीलदार तहसीलदार बापिणी हाल तहसील आऊ।
07. परियोजना निदेषक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतमाला परियोजना जोधपुर।**(विलोपित)**

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14 अक्टूबर 2021 सहायक कलक्टर लोहावट राजस्व मूल वाद संख्या 1065/2020 रमकु बनाम अमराराम इत्यादि

———————

उपस्थित–

श्री चन्द्रप्रकाष चौधरी अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 02 से 04
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 05 व 06
श्री पूनाराम विष्नोई, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 07

नि र्ण य

दिनांक : 05 मई 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 1065/2020 अनवान रमकु बनाम अमराराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14 अक्टूबर 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 19 जनवरी 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

हस्तगत मामले में रेस्पोडेंट संख्या 7 की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उनके विरूद्ध अपील की कार्यवाही ड्रोप किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी ग्राम श्रीकृष्ण नगर तहसील बापिणी के खेत खसरा संख्या 2016 रकबा 156 बीघा के संबंध धारा 88, 53 एवं 188 आर.टी. एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के संबंध खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर 2021 को वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर दिये गये, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

सर्वप्रथम रेस्पोडेंट संख्या 7 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत रेस्पोडेंट संख्या 7 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतमाला परियोजना जरिये निदेषक के विरूद्ध अपील कार्यवाही ड्रोप करने बाबत पर बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या सात के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा आदेष दिनांक 07.02.2022 के जरिये वादीनी के वाद एवं हस्तगत अपील को सड़क हेतु अवाप्तसुदा भूमि रकबा 21276 वर्गमीटर की सीमा तक खारिज कर दिया गया तथा रेस्पोडेंट संख्या सात को निर्माण कार्य की छूट प्रदान की गई थी। वर्तमान में अपील में रेस्पोडेंट संख्या 7 का किसी प्रकार का अनुतोष शेष नहीं रहा है। इसलिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जावे एवं रेस्पोडेंट संख्या 7 के विरूद्ध अपील की कार्यवाही को ड्रोप किया जावे।

जवाब में अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया। अदालत हाजा के आदेष दिनांक 07 फरवरी 2022 को अवलोकन किया गया। अदालत हाजा के आदेष दिनांक 07 फरवरी 2022 के जरिये रेस्पोडेंट संख्या 7 के विरूद्ध वाद एवं अपील को अपास्त किया जा चुका है। वर्तमान में स्तर पर रेस्पोडेंट संख्या 7 का हस्तगत अपील में कोई अनुतोष शेष नहीं रहा है। लिहाजा न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं रेस्पोडेंट संख्या 7 के विरूद्ध अपील की कार्यवाही ड्रोप की जाती है।

तत्पष्चात अपील पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये पत्रावली को राजस्व अभियान केम्प श्रीकृष्ण नगर में रखकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावल को लोक अदालत केम्प में रखे जाने की सूचना अपीलाण्ट को नही दी गई, इस कारण अपीलाण्ट राजस्व अभियान केम्प में उपस्थित नही हो सका। इसके अलावा खसरा नम्बर 2016 रकबा 156 बीघा भूमि का बंटवाडा आदेश दिनांक 07.07.2015 को राजस्व लोक अदालत केम्प लक्ष्मण नगर में किया गया था, जो आदेश उपखण्ड अधिकारी के अधिकार क्षेत्र का था एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व अभियान लक्ष्मण नगर में सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा केम्प लक्ष्मणनगर में पारित आदेष दिनांक 07.07.2015 के संबंध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं था, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रभारी अधिकारी राजस्व लोक अदालत केम्प लक्ष्मण नगर के आदेश दिनांक 07.07.2015 की पालना में खोले गये म्युटेशन संख्या 1135 को निरस्त करने में भारी कानूनी भूल की है। कानूनन भूमि का बंटवाडा एक बार हो जाता है तो फिर पक्षकार के मध्य वापस नही किया जा सकता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वादग्रस्त भूमि में कोई हक या हिस्सा बनता है तो उसी बंटवाडे में दर्ज हिस्से अनुसार ही प्राप्त होगा व पूर्व के सभी खसरों में अपना 1/9 हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लेने की चाराजोही कर सकती है, किंतु उसे पूरा बंटवाडा निरस्त करवाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं

है। अधीनस्थ न्यायालय को नामान्तरकरण संख्या 1135 गाँव श्रीकृष्ण नगर के मूल खसरा नम्बर 2016 व उसके बट्टा नम्बर 2016/1, 2016/2, 2016/3. 2016/4 को निरस्त करने का कोई कानूनी अधिकार नही है, न ही बंटवाडा प्रस्ताव पुनः तहसीलदार आऊ से मंगवाने का कोई अधिकार था, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री पारित कर कानून की घोर अवहेलना की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पूर्व में फौतेदगी म्युटेशन संख्या 641 ग्राम श्रीकृष्ण नगर को स्वीकृत करवाने के वक्त अपनी मौखिक स्वीकृति दी थी व अन्य बहनों व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की माता द्वारा दिनांक 27.12.2010 को वादग्रस्त आराजी में निहित अपने हिस्से का हकतर्क अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के पक्ष में कर दिया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने भी उक्त हकतर्क नामें पर अपनी मौखिक स्वीकृती देकर म्युटेशन स्वीकृत करवाने में सहमति प्रदान की थी। दिनांक 27.12.2010 को हकतर्क के वक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवश्यक कार्य होने के कारण वह उप पंजीयक कार्यालय में उपस्थित नही हो सकी थी। बाद में म्युटेशन संख्या 641 स्वीकृत करने की पूर्ण सहमति दी थी। वर्तमान में रेस्पोडेंट संख्या एक का वापस मन बदलने से झूठे तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत सभी पक्षकारों की समुचित तामील करवाकर उन्हें जवाब दावा प्रस्तुत करने अवसर प्रदान करने, दावा एवं जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायमी, साक्ष्य प्रस्तुति एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपीलाण्ट से बाले बाले पारित किया गया है। दौराने बहस वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि पत्रावली में प्रारम्भिक डिक्री जारी करने की कोई साक्ष्य मौजूद नहीं थी, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व अभियान केम्प में बिना किसी आधार के प्रारम्भिक डिकी जारी कर फौतेदगी नामान्तरकरण व पश्चावर्ती नामान्तरकरण को निरस्त कर तहसीलदार आऊ से पुनः बंटवाडा प्रस्ताव मंगवाने का आदेश विधि विरूद्ध एवं क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पारित किया गया होने से काबिल निरस्त है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री की सर्व प्रथम जानकारी हल्का पटवारी द्वारा दिनाक 11.01.2022 को ग्राम पंचायत मुख्यालय श्रीकृष्ण नगर में दी गई। अपीलांट को जानकारी होते ही उसने सहायक कलेक्टर लोहावट से

नकल प्राप्त कर जानकारी की तिथि से हस्तगत अपील अन्दर म्याद अपील प्रस्तुत की है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत करने में जानबूझ कर कोई देरी नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त देरी माफ योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 1065/2020 अनवान रमकु बनाम अमराराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14 अक्टूबर 2021 को खारिज फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या दो से चार के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी उभय पक्ष की पुष्तैनी खातेदारी की भूमि है, जिसमें रेस्पोडेंट संख्या एक का पुष्तैनी रूप से 1/9 हिस्सा निहित है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा वादग्रस्त आराजी का हकतर्क नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सहमति से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब का प्रष्न है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को सूचित किये बिना पत्रावली को प्रषासन गांवों के संग षिविर ग्राम पंचायत मुख्यालय कृष्ण नगर रखकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की समय पर जानकारी नहीं होना लाजमी है। लिहाजा मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणावगुण पर अवलोकन से प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 2016 रकबा 156 बीघा ग्राम श्री कृष्ण नगर तहसील आऊ का पूर्व में

पक्षकारान् में बंटवाड़ा होकर उसकी पालना में म्यूटेषन संख्या 1135 दिनांक 07.07.2015 स्वीकृत किया जाकर पक्षकारान् के मध्य वादग्रस्त आराजीयात के खाते अलग होकर मौके पर पृथक–पृथक तरमीम हो चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध मुआवजा अवार्ड खसरा नंबर 2016 के मुताबिक खातेदार अमराराम को प्राप्त भूमि में सें भारतमाला परियोजना के तहत सड़क में भूमि आवाप्त होने पर खातेदार अमराराम द्वारा मुआवजा राषि भी प्राप्त किया जाना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में विभाजित भूमि को पुनः सामलाती किये जाने की सहमति प्रदान करने एवं वाद स्वीकार किये जाने की सहमति प्रदान किये जाने का रेस्पोडेंट्स को कोई अधिकार नहीं है। जहां तक रेस्पोडेंट संख्या एक के वादग्रस्त आराजी पुष्तैनी होने तथा उसमें उसके खातेदारी अधिकारों का प्रष्न है, वह प्रत्येक खातेदार के विभाजित हिस्से में से वह जरिये साक्ष्य वाद साबित होने पर प्राप्त करने की अधिकारीणी है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को जवाब प्रस्तुति एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित कर विधि–विरूद्ध तरीके से पूर्व विभाजन को निरस्त किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंषिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 1065/2020 अनवान रमकु बनाम अमराराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14 अक्टूबर 2021 निरस्त किये जाते है तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देष के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट को जवाब प्रस्तुति का अवसर प्रदान करते हुए मामले में वाद एवं जवाब के आधार पर विवाद्यक विरचित कर उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुति का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार मामले में पुनः निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाष विष्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर